न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल,आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2019

प्रार्थी

लक्ष्मीदेवी पत्नि उत्तमचंद कौम रावल ब्राहम्ण निवासी रानीवाडा खुर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अप्रार्थीगण

1. तगा पुत्र रावता
2. काला पुत्र रावता
3. लच्छा पुत्र रावता
4. राजूराम पुत्र मफाराम
5. गोवाराम पुत्र मफाराम
6. जगसी पिसरान करताराम
7. रतनी बेवा करताराम
8. शाखा प्रबंधक महोदय रानीवाडा(जा0स0भू0वि0बैक लिमिटेड)
9. शाखा प्रबंधक महोदय भारतीय स्टेट बैक शाखा रानीवाडा
10. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया अधिवक्ता श्री रमेश कुमार गर्ग।
2. अप्रार्थी संख्या 10 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 12.01.2021

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा रानीवाडा खुर्द में प्रार्थीया की कब्जा सुदा खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 4.10 हैक्टर है। उनके पडौस में अप्रार्थीगणों को खातेदारी आराजी आई हुई है। उनके ख. न. 2159 रकबा 3.54 हैक्टर बारानी प्रथम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगणों की आराजी मौजा रानीवाडाखुर्द की सीमा में स्थित है, जबकि प्रार्थीया की खातेदारी रानीवाडा व डुंगरी की सीमा पर स्थित है अर्थात प्रार्थीया की खातेदारी डुंगरी में आई हुई है। तथा अप्रार्थीगणों की खातेदारी रानीवाडाखुर्द राजस्व ग्राम में स्थित है। श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रानीवाडा के निर्णयानुसार प्रार्थना पत्र बाबत् खातेदार को रास्ता देने के तहत नामान्तरण सं 2196 दिनांक 9.6.2017 के द्वारा ख. स. 2716/2159, 2715/2158 में रास्ता तरमीम किया गया है उक्त रास्ते पर चलने पर ख. स. 2159 मेसे प्रस्तावित रास्ता चाहिए जो प्रार्थीया की मौजा डुंगरी की खातेदारी के ख. स. 26 रकबा 4.10 हैक्टर से मिलता है। प्रार्थीया की खातेदारी में आवागमन के लिये रास्ता नहीं है, ऐसी परिस्थिति में खातेदारी का कोई औचित्य नहीं [illegible] है, प्रार्थीया गरीब है, तथा काश्त ही एकमात्र सहारा है। अतः परिशिष्ट में लाल स्याही के अनुसार ए से बी [illegible] तक दर्शाए

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:42 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार रास्ता अगर दिया जाता है तथा प्रार्थीया के परिवार एवं कृषि साधनों का आवागमन हो सकेगा।

प्रार्थीया मौजा रानीवाडाखुर्द के ख. न. 2159 रकबा 3.54 हैक्टर मे से 21 फुट चौडा रास्ता चाहती है, प्रार्थीया वांछित राशि जमा कराने पर तैयार है, न्यायहित में प्रार्थीया को मौजा डुंगरी के ख. नं. 26 रकबा 4.10 है. में आवागमन हेतु मौजा रानीवाडाखुर्द के ख. नं. 2159 रकबा 3.54 मे से परिशिष्ठ में दर्शाए अनुसार रास्ता दिया जाता है तो उक्त रास्ता आगे के निर्णित रास्ते से मिल जाएगा तथा प्रार्थीया एवं उनका परिवार काश्त एवं आवागमन का लाभ ले सकेगा। कि ख. नं. 2159 के खातेदार जो अप्रार्थीगण है किसी भी परिशिष्ठ में रास्ता देने को सहमत नहीं है। इस प्रकार न्यायहित प्रार्थना पत्र बाबत् खातेदार को रास्ता देने का प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् खातेदार को रास्ता देने 251ए आर. टी. एक्ट 1955 पेश कर निवेदन है कि मौजा डुगरी के ख. नं. 26 रकबा 4.10 हैक्टर मे आवागमन हेतु मौजा रानीवाडा के ख. नं. 2159 रकबा 3.54 हैक्टर में से परिशिष्ठ में ए से बी बिन्दु लाल स्याही में दर्शाए अनुसार रास्ता दिलवाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगणों का नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 ,8 ,9 बावजुद नोटिस तामील होने से अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एक पक्ष कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 10 तहसीलदार रानीवाडा द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौके पर राजस्व रेकर्ड के अनुसार प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच की गई। प्रार्थीया लक्ष्मीदेवी की आराजी सरहद मौजा ग्राम डुंगरी में आई हुई है। जिसके ख. नं. 26 रकबा 4.10 हैक्टर है। ख. नं. 26 सरहद ग्राम डुंगरी व ग्राम रानीवाडाखुर्द की सीमा पर है। प्रार्थीया को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। अप्रार्थी खातेदार तगा वगैरा की खातेदारी भुमि सरहद ग्राम रानीवाडाखुर्द में आई हुई है। अप्रार्थी की आराजी ख. नं. 2159 रकबा 3.54 हैक्टर भुमि में से दक्षिणी माठ पर प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के अनुसार रास्ता चाहा गया है। जिसकी लम्बाई 156 मीटर चौडाई 4 मीटर है। यानि 00.624 हैक्टर है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम है जो दिया जाना उचित है। ख. नं. 2159 व 2158 की माठ के सहारे खसरा नम्बर 2716/2159 व खसरा नम्बर 2715/2158 रकबा क्रमशः 0.13 0.13 कुल 0.26 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। जिसके सह खातेदार भी अप्रार्थी तगा वगैरा ही है। प्रस्तावित मार्ग में अन्य कोई संरचना वृक्षादि/पहाड/नाडी नहीं है।

वर्तमान डी. एल. सी. सिंचित दर 66550/– रूपये प्रति हैक्टर है। कुल प्रतिकर राशि की दुगुनी राशि 82936/– रूपये बनती है।

हमने प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 10 द्वारा प्रस्तुत जबाव व दस्तावेज एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थीया का खेत खसरा नम्बर 26 रकबा 4.10 हैक्टेयर मौजा डुंगरी की जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 330 में दर्ज है। तथा मौजा रानीवाडा खुर्द की जमाबंदी के खाता संख्या 228 में खसरा नम्बर 2159 रकबा 3.54 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 10 की और से जवाब मे खसरा नम्बर 2159 के अलावा कोई रास्ता नजदीकतम नही है। तथा खसरा नम्बर 2159 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 7 द्वारा उक्त रास्ता देने के स[illegible]यालय में उपस्थित होकर आपत्ति नही की गई तथा न ही कोई खण्डन किया। तहसीलदार रानीवाडा ने अपने जवाब में प्रार्थी को रास्ते की लम्बाई 156 मीटर व चौडाई 4 मीटर का [illegible]0624 वर्गमीटर है। जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 18:21:42 IST
Reason: SelfAttested

डी0एल0सी0 दर 66550 प्रति हैक्टेयर है। उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :—

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया के खसरा नम्बर 26 में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 2159 मे सें रास्ता दिया जाता है। जिससे रास्ते की लम्बाई 156 मीटर व चौडाई 4 मीटर कुल क्षेत्रफल 624 वर्गमीटर है। जो आगे खसरा नम्बर 2715/2158 व 2716/2159 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से जोडता है। खसरा नम्बर 2159 की डी.एल.सी दर 66550 रूपये प्रति हैक्टर दर्शाई है। उक्त दर या वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर की दर में वृद्वि हो तो उसकी दुगुनी प्रतिकर राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अप्रार्थी सख्या 1 से 7 के हिस्से अनुसार अदा करने हेतु प्रार्थीगण से मंगवाकर भुगतान करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा डिमाण्ड़ ड्राफ्ट से अप्रार्थीगण के नाम जारी करवा कर पेश करने पर अप्रार्थी संख्या 1 से 7 को प्रतिकर की राशि का भुगतान करे तथा भुगतान की प्राप्ति इस न्यायालय को प्रस्तुत करे। तत्पश्चात तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा अपने जवाब मे प्रस्तुत राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से मार्क लम्बाई 156 व चौडाई 4 कुल क्षेत्रफल 624 वर्गमीटर का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करें तथा उक्त रास्ते की नक्शा लट्ठा मे तरमीम की जावे। निर्णय की प्रर्ति तहसीलदार रानीवाड़ा को पालना हेतु भेजी जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 12.01.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.02.09 13:21:42 IST
Reason: SelfAttested